

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोंडेंट :-

श्री रमेशकुमार पुत्र धन्नाराम निवासी
सुरियास, पोस्ट झीटिया, तहसील रियों बडी.
जिला नागौर

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) जैतारण

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 58 / 2019

R.C.M.S. No. --2019/00 215

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/6/19	अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) जैतारण ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेंट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 14/6/19 को पेश हो।	808-09 10.6.19
14/6/19	अपीलांत की अपील के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराते हेतु SDO जैतारण को लिखा गया। उन्हेके फोर क्लेक या शकगत करामा कि एक डायमा प्रक करीके। एक व्याटपुनः पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 28/6/19 को पेश हो।	जिला कलेक्टर, पाली
28/6/19	श्रीमान कलेक्टर जैतारण बाहर पधारे हैं पेशी इलतवा होकर पत्रावली दिनांक 17/7/19 को पेश हो।	जिला कलेक्टर, पाली
17/7/19	फावली राज पेश हुई। अपीलांत द्वारा यह अपील लोक सूचना अधिकारी (S.D.O.) जैतारण से सूचना RTI के तहत प्रथम पत्र प्राप्तुन का चाही जिसे एक माह में उपलब्ध नहीं करोगे या यह अपील पेश की गई। इस क्रमानुसारे द्वारा SDO जैतारण को सूचना उपलब्ध कराते जाकर लिखा जिसेके प्रकृतके SDO जैतारण ने शकगत करामा कि उनके द्वारा अपील करामा कोहित सूचना जैतारण यंत्रके। लोक सूचना अधिनियम/2019/14 दिनांक 2/3/19 के उपलब्ध कराती है। -यदि लोक सूचना अधिकारी SDO जैतारण को अपीलांत को कोहित सूचना उपलब्ध कराते हेतु से इस अपील के संकेत में किसी प्रकार की कनिवाही गेपारित नहीं रह जाती है। कोहित अपील अपीलांत कोष की जाती है। पत्रावली इस क्रमानुसारे से शकृत केसा की जाकर गेवट से करती है।	जिला कलेक्टर, पाली